न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/215

1. मुकेश आयु 41 वर्ष पुत्र होशियार सिंह, जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
2. रणवीर सिंह आयु 59 वर्ष पुत्र शिवलाल, जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र सांवल, जाति जाट निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री हरलाल सिंह, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री राकेश शेखावत एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 27.09.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 1.39 हैक्टयर वाके ग्राम लोयल प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि बतलाते हुये इस भूमि के गत खसरा नम्बर 50 होना बताया तथा गत खसरा नम्बर 50 से बने नये खसरा नम्बर 75 की पश्चिमी भूजा को गत नक्शा किश्तवार सन् 1936–37 में सही होना बतलाते हुये हाल नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 में प्रार्थी की भूमि का नक्शा गलत होना बताया तथा उक्त अनुसार नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 के गलत बनाये जाने से प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भारी हक तलफी होना बतलाते हुये नक्शा किश्तवार को सन् 1979–80 को नक्शा किश्तवार सन् 1936–37 के अनुसार दुरूस्त किये जाने का अधिकारी होना बतलाते हुये अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने गत खसरा नम्बर 50 जिनके नये खसरा नम्बर 75 रकबा 1.39 हैक्टयर के नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 को गलत बनाया जाना मानते हुये दिनांक 01.04.2022 को दुरूस्ती किये जाने हेतु विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो आदेश खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली के तथ्यों के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से बतलाई गई अपनी भूमि खसरा नम्बर 75 तादादी 1.39 हैक्टयर वाके ग्राम लोयल के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 का अवलोकन किया जावे तो यह भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामचन्द्र के अलावा अमीलाल, फुलचन्द, विनोद पिसरान सांवल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है परन्तु नियमानुसार

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम में अन्य संयुक्त खातेदारान अमीलाल, फुलचन्द व विनोद को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया जबकि कानूनन प्रत्येक कोटीनेन्ट का जमीन के हर इंच पर अधिकार व हिस्सा होता है तथा इस प्रकार की कार्यवाही में सभी संयुक्त खातेदार को पक्षकार बनाते हुये न्यायालय के समक्ष वांछित कार्यवाही किया जाना कानूनन अनिवार्य होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश करने से पूर्व प्रार्थना पत्र के इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर बिना गौर किये व बिना सम्बन्धित जमाबन्दी का अवलोकन किये ही प्रार्थीना पत्र को स्वीकार किये जाने में भंयकर कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पुराना नक्शा किश्तवार सन् 1936–37 का अवलोकन किया जावें तो प्रार्थी के कथनानुसार गत खसरा नम्बर 50 की पश्चिमी सीमा से लगते हुये रास्ता व जमीन पुराना खसरा नम्बर 48 स्थित होना नक्शासीट से प्रकट होता है तथा उक्त रास्ता से पश्चिमी में गत खसरा नम्बर 44 स्थित होना भी स्पष्ट होता है तथा गत खसरा नम्बर 50 व 44 की बीच में उक्त अनुसार स्थित रास्ता का पुराना खसरा नम्बर 47 होना स्पष्ट है एवं नकल मिलान क्षेत्रफल का अवलोकन किया जावे तो गत खसरा नम्बर 44 व 48 के नये खसरा नम्बर 67 रकबा 1.72 हैक्टयर होना स्पष्ट होता है, गत खसरा नम्बर 44 व 48 अपीलान्ट्स की खातेदारी की पैतृक भूमि रही है जो पैमाईश से पूर्व के रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 के अनुसार खसरा नम्बर 44 का नक्शा 6 बीघा 14 बिस्वा है तथा गत खसरा नम्बर 48 का रकबा 6 बिस्वा इस प्रकार दोनों खसरा नम्बरान की भूमि को मिलाकर कुल रकबा 7 बीघा है, उक्त खसरा नम्बर 44 व 48 का रकबा 7 बीघा है जो 1.771 हैक्टयर भूमि के समान होता है, उक्त गत खसरा नम्बरान 44 व 48 से नया खसरा नम्बर 67 रकबा 1.72 हैक्टयर वाके ग्राम लोयल डाले गये इससे स्पष्ट है कि गत खसरा नम्बर 44 व 48 में से रास्ता कायम किया हुआ रहा जिसको नक्शा किश्तवार सन् 1936–37 में यथा स्थान प्रकट किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नया खसरा नम्बर 67 की पूर्वी सीमा पर स्थित रास्ता को नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 में यथास्थान दर्शाया गया है तथा इस रास्ते के पास ही खसरा नम्बर 75 में खसरा नम्बर 74 रकबा 0.16 हैक्टयर कुऑ दर्शाया हुआ है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जानबुझकर रास्ता व खसरा नम्बर 74 कुऑ की स्थिति को छिपाया है तथा अधीनस्थ न्यायालय को मुगालता देते हुये गलत अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया जो खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि चूँकि उक्त आदेश दिनांक 01.04.2022 से भूमि खसरा नम्बर 67 तादादी 1.72 हैक्टयर के खातेदारान अपीलान्ट्स आदि पर विपरित प्रभाव पड़ता है इस कारण अपीलान्ट्स को उक्त आदेश दिनांक 01.04.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कराने का अधिकार है एवं आदेश दिनांक 01.04.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु अपील के साथ अलग से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी. सी. प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे स्वीकार किया जावें एवं अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 75 रकबा 1.39 हैक्टयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 काबिज रहकर काश्त करता रहा है तथा उक्त खसरा नम्बर 75 की पश्चिमी भुजा को गत नक्शा किश्तवार मोमिया सन् 1936–37 में सही बना हुआ है किन्तु हाल नक्शा किश्तवार सन् 1979–80 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नक्शा गलत बना दिया गया है जिस कारण से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उक्त हाल नक्शा ट्रेस सन् 1979–80 को गत नक्शा किश्तवार मोमिया सन् 1936–37 के अनुसार दुरूस्त करवाने का कानूनन अधिकारी है जिसके लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात् ही अपलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2022 में स्वयं ने माना है कि हाल खसरा नम्बर 74 व खसरा नम्बर 75 का दुरूस्तीकरण करने पर हाल खसरा नम्बर 67 के खातेदारों के कब्जा सीमा में परिवर्तन आ सकता है एवं खसरा नम्बर 67 के खातेदारों को सुना जाकर काश्तकार के हित को ध्यान में रखते हुए नक्शा किश्तवार ट्रेस के अनुसार दुरूस्त किया जाना न्याय संगत होगा उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 67 के काश्तकारों को प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2022 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट भी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.04.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।